उत्तराखण्ड शासन,
शहरी विकास विभाग,
संख्याः 983 / IV–2007–01(83) / 2007
दिनांक 23 अक्टूबर, 2007

अधिसूचना

चूंकि, उत्तराचंल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के अधीन उत्तराखण्ड शासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन अथवा संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों ;

तथा चूंकि, उत्तराचंल (उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा, सेवा निवृति लाभ नियमावली, 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 / 87 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में लागू है ;

अतः अब, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0 52 वर्ष 2006) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराचंल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (केन्द्रीयत) सेवा, सेवानिवृति लाभ नियमावली, 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 को उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (केन्दीयत) सेवा, सेवानिवृति लाभ नियमावली, 1981) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ –

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (केन्दीयत) सेवा, सेवानिवृति लाभ नियमावली, 1981) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना –

2. उत्तराचंल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (केन्दीयत) सेवा, सेवानिवृति लाभ नियमावली, 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में जहां जहां शब्द उत्तराचंल आया है, वहां वहां वह शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव।

संख्याः 983(1) IV–2007 तद्दिनांक, 23\10\07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
2– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 25 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनुसचिव।

smn25